

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 49 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

डिक्री

दिनांक :- 30/01/2026


वादीगण की ओर से श्री हीरालाल बिस्थलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 ता 11 की ओर से श्री ध्रुव गोदारा अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53, 49 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन व विनिमय किया जाता है:-

सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

दिनांक 30/01/2026





क.	वादीगण को ब.हि.ब. :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		15 एमओडी-ए	42/263	1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12 19 ता 22	2.530 हैक्.
ख.	प्रतिवादी सं. 1 दलीप कुमार :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		15 एमओडी-बी	37/270	5, 6, 15/.063 उत्तरी	0.569 हैक्.
			38/270	1, 2, 9 ता 12	1.518 हैक्.
			37/268	6/2/.051	0.051 हैक्.
			38/267	18 ता 20, 21/1, 21/2 22 ता 24	1.502 हैक्.
			37/267	21/.177, 22/.177, 23/.177, 24/.177 25/1/.161 दक्षिणी 25/2/.017	1.654 हैक्.
ग.	प्रतिवादी सं. 2 ओमप्रकाश :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		15 एमओडी-बी	37/270	11/.237, 12/.237, 13/.238, 14/.237 दक्षिणी, 15/.190 16 ता 23	2.456 हैक्.
			38/268	1 ता 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8 ता 10,	2.530 हैक्.
			37/267	1/1 ता 6/2, 7 ता 12, 13/1 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1 16/2, 17 ता 20, 21/.076, 22/.076, 23/.076, 24/.076 25/1/.067, 25/2/.008 उ.	5.439 हैक्.
घ.	प्रतिवादी सं. 3 मदनलाल:-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		15 एमओडी-बी	37/270	1 ता 4, 7 ता 10, 11/.016, 12/.016, 13/.015, 14/.016 उ.	2.087 हैक्.
			37/263	1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 23	4.807 हैक्.
		15 एमओडी-बी	37/263, 38/263	की कुल 7.843 हैक्. मे से 0.757 हैक्. जिसमे से प्रतिवादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 10 का नाम हक व हिस्सा कलमजन किया जावे।	
ग.	प्रतिवादी सं. 4 कालूराम:-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		16 एमओडी	35/264	23/1, 24, 25/1, 25/2, 25/3	0.632 हैक्.
			35/265	1 ता 3, 4/1	0.949 हैक्.
				कुल तादादी	1.581 हैक्.
ड.	प्रतिवादी सं. 10 साहिल कुमार :-	चक	प.नं.	किला	तादादी
		15 एमओडी-बी	38/268	13/3, 13/4	0.152 हैक्.

वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार पीलीबंगा जिला दुरुमानगड



मुक्त होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया  
अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी /  
गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं  
किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/01/2022 को  
मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

3  
(उमा मिश्र) सहायक न्यायाधीश और ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलेक्टर  
पीलीबंगा